रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7, 2003/ज्येष्ठ 17, 1925
No. 90] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 2003/JYAISTHA 17, 1925

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2003

सं एफ. 14-3/69-स्था. II.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली, 1999 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं:—

1. (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली, 1999, में विनियम 4, उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे:—

"(6) संस्थान के कम से कम 9 सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध किये जाने पर, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर, संस्थान की असाधारण बैठक बुलाई जाए तथा अपेक्षित बैठक के लिए सदस्यों द्वारा किये गए लिखित अनुरोध में बैठक का उद्देश्य दर्शाना होगा।"

डॉ. पी. के. दवे, निदेशक

[विज्ञापन III/IV/151/2003/असा.]

पाद टिप्पणी:—कृपया मूल विनियमावली प्रकाशन हेतु देखें सं. एफ. 14-3/69/99-स्था.I दिनांक 25-2-99।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2003

No. F. 14-3/69-Estt. II.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 29 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All India Institute of Medical Sciences Regulations, 1999, namely:—

1 (1) These regulations may be called the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 2003.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Institute of Medical Sciences Regulations, 1999, in regulation 4, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(6) An extraordinary meeting of the Institute may be called on a written request of not less than 9 members of the Institute within 7 days of the receipt of the requisition and the request made by members for a requisitioned meeting shall indicate the purpose of the meeting."

DR. P. K. DAVE, Director

[ADVT III/IV/151/2003/Exty.]

Foot Note :— The principal regulations were published vide No. F. 14-3/69/99-Estt. I dated 25-2-1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.